

>

Title: Discussion on the motion for consideration of the Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2012 (Discussion not concluded).

MR. CHAIRMAN : Now, the House will take up Item no. 10, Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2012.

Hon. Minister, Shri Ghulam Nabi Azad.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI GHULAM NABI AZAD): Mr. Chairman, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Indian Medical Council Act, 1956, be taken into consideration. "

The Medical Council of India, MCI, is a statutory body created by an Act of Parliament. It is responsible for establishing and maintaining high standards of medical education and recognition of medical qualifications in India. It registers doctors to practice in India, in order to protect and promote the health and safety of the public by ensuring proper standards in the practice of medicine.

Members are aware of the reasons which led to the supersession of the Council in 2010. The issue was also debated in the Rajya Sabha during my response to the Calling Attention notice on 4th May, 2010. I had emphasized during the discussion that there is an urgent need to reform the structures governing the medical education, including the MCI, and I had assured that the Government would take all necessary steps to restore the credibility of the Medical Council of India.

The Ministry held detailed discussions to explore various possible ways to improve the regulatory structure of the health education sector in general, and the functioning of the Medical Council in particular and ultimately decided to set up a National Commission for Human Resources for Health, that is NCHRH, as an overarching regulatory body in the health sector, as was mentioned by Her Excellency, the President of India in her speech to the Joint Session of Parliament on 4th June, 2009. It was also decided to take immediate steps to revamp the Medical Council of India till the NCHRH comes into effect.

In this backdrop, the Medical Council of India was dissolved on 15th May, 2010 and a six-member Board of Governors was constituted to oversee the work of the Council for one year with the hope that the NCHRH would be in place by that time. The Ministry had been working on the NCHRH Bill immediately after it was announced by the hon. President. The Ministry constituted a Task Force which finalized its Report, outlining the structure and the functions of the overarching body within two months. However, consultations with the States and other stakeholders took a long time. It also required consultations with other Central Ministries and issues relating to the NCHRH under the Ministry of Health and Family Welfare, and the NCHER under the Ministry of HRD were also required to be resolved.

Since finalization of the Bill was taking time and it was not possible to introduce the NCHRH Bill, the Indian Medical Council Act had to be amended again through the IMC (Amendment) Act, 2011 and the term of Board of Governors was extended by one year, i.e. up to 14.5.2012.

In the meanwhile, the NCHRH Bill has been introduced in the Rajya Sabha in December last, and the hon. Chairman of Rajya Sabha had referred the Bill to the Departmentally Related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare. The recommendations of the Committee on the Bill are still awaited.

I would like to inform the hon. Members that in these two years, the Board of Governors of the MCI have brought in unprecedented transparency in the functioning of the Council and introduced a series of reforms which has led to the addition of 6,367 MBBS seats between 2010- 2011 and 2011- 2012; and 3,724 PG seats between 2011 and 2012 and in this session some more seats are being created.

The regulations have been relaxed to encourage opening of the new medical colleges, particularly in backward and remote areas. Measures like relaxing the teacher-student ratio, increasing the retirement age of the medical faculty, say to 70 years, and allowing medical colleges to start post-graduate courses in pre and para-clinical disciplines at third renewal without waiting for the recognition, have been taken to meet the shortage of teachers in the medical colleges and to increase the number of specialist doctors in the country.

Sir, as I have already mentioned that there is no possibility of enacting the proposed legislation to set up NCHRH within the deadline of 14.5.2012, and a situation of reversion to the *status quo ante*, i.e., constitution of the old MCI as per Section 3 of the IMC Act would arise which may not be desirable.

It is in this background, I would request the House to consider the Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2012 for extending the tenure of the Board of Governors of MCI for one more year beyond 14.5.2012 so that there is adequate time for the NCHRH Bill to be considered by the Parliament and reconstitution of the MCI in terms of the new provisions.

Sir, having said this, I would like to draw the attention of the hon. Members that this subject has been discussed as many as two times earlier and third time only day before yesterday when we were discussing the Demands for Grants of the Ministry of Health and Family Welfare. Earlier in 2010 when the Medical Council was dissolved and we went for the Ordinance, at that point of time, it was discussed. ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Madam, please do not disturb him. Hon. Minister please address to the Chair.

...(*Interruptions*)

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, it was discussed in one or the other House. Then, second time also when the amendment was brought for two years, it was discussed in the other House. ...(*Interruptions*) I am not saying that we may not discuss this Bill at all. ...(*Interruptions*) It was discussed in the other House. I am not recommending that nobody should speak. I am just saying only that the amendment is very simple that instead of two years, we have to do it for three years.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Indian Medical Council Act, 1956, be taken into consideration."

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

सभापति महोदय, सबसे पहले मुझे आपका संरक्षण चाहिए कि जो हम लोग यहां पर बोलते हैं, कम से कम उसकी बात का जवाब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी दें और जो बोलें, वे सही बोलें। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वे जब भी बोलते हैं, अजीब तरह की बात बोलते हैं, जैसे टी.वी. पर डिबेट होती है, वैसे लोक सभा के डिबेट की स्थिति स्वास्थ्य मंत्रालय की हो गई है। जैसे टी.वी. पर एक डिबेट होती है कि गोल-गप्पा खाने से भाग्य ठीक होता है या नहीं। वैसे ही यहां पर गुरुजी बाबा का एक वेलो रहता है, जो कि कहते हैं कि आप चारों एमिनेंट स्पीकर्स बोल लीजिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरा भाग्य गोल-गप्पा खाने से ठीक हुआ है।...(व्यवधान) सतपाल महोदय, मैं एक-एक बात बताऊंगा कि क्या रिलेवेंस है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please address the Chair. Otherwise, I will call the next speaker.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please do not disturb. You will also get your time.

Nothing else will go in record except what Dr. Sanjay Jaiswal says.

(*Interruptions*) â€/*

डॉ. संजय जायसवाल : इसका रिलेवेंस यह है, अभी मंत्री जी ने यह कहा कि यह बिल तीन बार डिसकस हो चुका है। सन् 2010 में यह बिल डिसकस ही नहीं हुआ, जब सबसे पहली बार यह बिल आया तो इस पर डिसकशन ही नहीं हुआ। हंगामा एवं बॉयकाट हो गया, हंगामे में यह बिल पास हो गया। इस बिल पर कोई डिसकशन नहीं हुआ। मंत्री महोदय अभी भी असत्य बोल रहे हैं। इसलिए मुझे आपका प्रोटेक्शन चाहिए। एमसीआई बिल क्यों आया, मंत्री महोदय के असत्यों की लिस्ट मैं आज गिनाऊंगा कि ये कितना असत्य बोलते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूँ कि सन् 2010 में यह बिल आया, यहां पर डिसकशन नहीं हुआ, लेकिन इसका डिसकशन राज्यसभा में हुआ, जैसा मंत्री जी ने बोला। मंत्री जी ने 26-8-2010 को राज्यसभा में जो बिल दिया, उसमें इन्होंने भाषण दिया था कि जो नया बिल आएगा, उसे हम अगले सत्र में सभा पटल पर रखेंगे, ये जो बोल रहे हैं कि सन् 2010 में राज्यसभा में इस बिल पर डिसकशन हुआ। वहां पर भी इन्होंने गलत बयानी की, कोई अगले सत्र में नहीं आया। उसी तरह से इन्होंने पिछले साल सन् 2011 में भाषण दिया। मंत्री जी को अगर याद न हो तो उनके भाषण की प्रती मैं सभापटल पर रख दूंगा। मैंने कहा था कि मेडीकल काउंसिल ऑफ इंडिया में ऐसे लोग होने चाहिए, जिनका अपना टीचिंग का एक्सपीरिंस हो। मुझे बहुत अफसोस है, मंत्री जी ने पद्मभूषण, पद्म विभूषण आदि बहुत कुछ बताया, इन्होंने डॉ. राजीव यादवेकर के बारे में भी कहा। जो बड़े-बड़े काॅर्पोरेट्स के पास जेनेरेटर्स, इनवर्टर्स आदि सब कुछ है, परन्तु उस गांव के गरीब के लिए जो पांच-छः घंटे बिजली आती है, उनकी जो मिनिमम जरूरतें हैं, वह उन्हें पांच-छः घंटे के अंदर पूरी कर सकता है। वह रोशनी उन लोगों को दिखाएँ, यह हम सब लोगों का लक्ष्य रहना चाहिए। सड़क के संदर्भ में भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बहुत काम हुआ है। रेगिस्तानी इलाके के अंदर ढाई सौ की संख्या का हम लोगों ने पैमाना रखा है। पहले गांव में राजस्व ही पैमाना था, अब उस राजस्व की जगह हैबिडेशन के कलस्टर का पैमाना रखा है। वह हैबिडेशन का कलस्टर भी उस राजस्व गांव के अंदर इतना नहीं हो सकता है, इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए कि प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना से रेगिस्तानी इलाके को ज्यादा से ज्यादा कि इनका टीचिंग एक्सपीरिंस 24 साल है और मंत्री जी का स्टेटमेंट था कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन से टीचिंग एक्सपीरिंसड हैं। यह बिल्कुल गलत है, इनका पी.एस.सी. में जरूर सलैक्शन हुआ था, पर ये किसी मेडीकल कालेज में कभी टीचर नहीं रहे। उसके बाद मंत्री जी ने डॉ. पुरुषोत्तम लाल

के बारे में कहा था कि पद्मभूषण हैं, पद्मविभूषण हैं। मेरा पूंन यह था कि आप मैडीकल कालेज, एम.सी.आई. के लिए गवर्नर बना रहे हैं, क्या उनको मैडीकल कालेज में टीचिंग एक्सपीरिंस है कि नहीं। इसमें भी इन्होंने कहा था। पुरुषोत्तम लाल जी ने कभी किसी मैडीकल कालेज में टीचिंग नहीं की और मैं आपका संरक्षण भी चाहता हूँ कि मुझे इसका जवाब मिलना चाहिए। इन्हें कभी भी किसी ने नहीं रखा। ये दोनों इनके स्टेटमेंट पेज नं. 4775 पर हैं। अब मैं पेज नं. 4777 पर आता हूँ। इन्होंने मैडीकल कालेज के बारे में कहा था, आज भी ये कहें कि इनसे पहले पांच से छः से ज्यादा मैडीकल कालेज कभी भी नहीं खुले थे और इन्होंने 21 मैडीकल कालेज खोल दिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1999 में 9 मैडीकल कालेज खुले।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please do not get disturbed. Please continue.

...(Interruptions)

डॉ. संजय जायसवाल : खुलने चाहिए, उस पर बहस नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा था कि पांच से छः मैडीकल कालेज नहीं खुले। मैं बताना चाहता हूँ कि 1999 में नौ मैडीकल कालेज खुले, 2000 में 11 मैडीकल कालेज खुले, 2001 में 12 मैडीकल कालेज खुले, 2002 में 18 मैडीकल कालेज खुले, 2003 में नौ मैडीकल कालेज खुले, 2005 में 13 मैडीकल कालेज खुले, 2006 में 20 मैडीकल कालेज खुले, 2007 में नौ मैडीकल कालेज खुले, 2008 में 19 मैडीकल कालेज खुले। उसी तरह से जो भी इन्होंने कहा है, यह भी इन्होंने गलत कहा कि इनसे पहले पांच से 6 मैडीकल कालेज नहीं खुलते थे। जो इन्होंने कहा कि हमने 21 मैडीकल कालेज खुलावाये, इसमें आई.केयर मैडीकल कालेज, हल्दिया में है, जिसका

"LOP had to be cancelled subsequent to joint inspection carried out by MCI and DCI pursuant to the orders of the hon. Supreme Court. Then there was the Dashmesh Medical College at Gurgaon, Rama Medical College at Ghaziabad and NIMS at Jaipur, etc. against whom CBI inquiry is pending. "

और यहां पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं हैं और ये सारे मैडीकल कालेज नॉन एग्जीस्टेंट हैं। उसके बाद इन्होंने पेज नं. 4777 पर कहा, जो कि हर भाषण में ये वलेम करते हैं कि मैंने एम.डी. की सीट बढ़वाई है। महोदय, मैं कागज भी लेकर आया हूँ, जो भारत सरकार का गजट है, जो मैं माननीय मंत्री जी के लिए और पटल पर भी रख रहा हूँ कि

"In Academic Year 2009-10, in the times of erstwhile MCI which was a representative body, the number of seats were increased by more than 3700 out of which more than 2700 seats were increased in Government Medical Colleges."

और इन 3700 सीट्स में से 2700 सीट्स केवल और केवल गवर्नमेंट मैडीकल कालेजेज़ में एम.सी.आई. ने इन्क्रीज़ की थीं। उसके बाद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में इन्होंने बताया कि टीचर स्टूडेंट रेश्यो इन्होंने बढ़ाया, यह बात भी बिल्कुल असत्य है।

"Regulation for increasing Teacher-Student ratio to 1:2 from 1:1 was introduced by the erstwhile MCI which was a representative body in 2008 by amending Sections 12 (1), (2), (3) and (4) of PG Medical Education Regulations *vide* amendment dated 21.7.2009. "

तो यह भी चीज़ जो हमेशा हर बार जब भी ये भाषण देंगे, कहेंगे कि मैंने पी.जी. में सीटें बढ़वाई, यह भी गलत है। यह 2009 का डिज़ीजन है, जबकि पुरानी एम.सी.आई. थी। इसी तरह से इन्होंने कहा कि हमने रिटायरमेंट की एज बढ़ाकर प्रोफेसर्स की संख्या बढ़ाई, उसका भी " The Regulation for increasing retirement age for medical faculty was amended by the erstwhile MCI."

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): आप बिल पर चर्चा करिये।

डॉ. संजय जायसवाल : जो ये बोल रहे हैं, सारी बिल पर ही तो चर्चा कर रहे हैं, जो मैडीकल काउंसिल ऑफ इंडिया के इसी बिल में है, मैं कोई अलग से बात नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने 26.4.2012 को मैडीकल काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए जो माननीय मंत्री जी ने भाषण दिया था। मेरे पास मंत्री जी के भाषण की प्रती भी है, अगर आपको चाहिए तो इसको भी रख लीजिए और ये सारे भारत सरकार के गजट्स भी मैं दे रहा हूँ, जिसमें कि इनका यह चेंज नहीं है, यह पिछली एम.सी.आई. का चेंज है, जिसका ये हमेशा क्रेडिट लूटते रहते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि हमने रिटायरमेंट की एज बढ़ाई, यह भी गलत है। 2005 में ही रिटायरमेंट की एज बढ़ाने का प्रोजेक्ट हो गया था।

"â€¦by inserting Section 1 (A) in the Teachers Eligibility Regulations *vide* amendment dated 16.3.2005. "

2005 का भी ये क्रेडिट ले रहे हैं। लैंड रिव्वायरमेंट पर भी ये हमेशा लोक सभा में भाषण देते हैं कि मैंने 35 एकड़ से 20 एकड़ करवाई, मैंने करवाया कि जो बड़े शहर हैं, उनमें दस एकड़ हो। यह भी इन्होंने असत्य बोला। The factual position is that this was reduced by the erstwhile MCI by amending - मैं सब-सेक्शन बोल रहा हूँ और जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। - As per Section 3 (2)(2) of the Establishment of Medical Regulations, 1999 *vide* amendment dt. 26.2.2010, minimum standard requirement for 50/100/150 admissions regulations were made by amending Section A 1.1 of the Regulations *vide* amendment dt. 13.11.2009. यह भी इनका कया हुआ नहीं है, पर हर बार ये क्रेडिट लेते हैं कि मैंने यह करवाया। इसी तरह जो यह दस एकड़ मेट्रोपोलिटंस में एलाऊ हुआ था, यह भी - the factual position is that construction by vertical expansion in Metropolitan cities up to permissible FSI/FAR was introduced by the erstwhile MCI - which was a

representative body - by amending Minimum Standard Requirement for 50/100/150 admissions regulations by amending Section 1.1.1 vide amendment dt. 13.11.2009. मंत्री जी जो मेट्रोपोलिटन के बारे में कहते हैं, यह भी गलत कहते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है कि टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ढाई सौ करोड़ से, मैं कोट करता हूँ, यह सब उनका बोला हुआ है, मैं नहीं कहता हूँ, से कम कैसे हो जाए, ज्यादा से ज्यादा हास्पिटल्स बनें, उसमें भी परिवर्तन लाएंगे, उसमें ऑडिटोरियम बिल्डिंग्स को एग्जामिनेशन हॉल से मर्ज करा के मैंने उनका कॉस्ट कम कराया, यह भी उन्होंने असत्य बोला है। Here, the fact is that minimum standard requirement for 50/100/150 admissions regulations were made by amending Section A.1.6. vide amendments dt. 23.10.2008 (for 100 admissions) and 15.07.2009 (for 50/150 admissions). मैं यह अमेंडमेंट था। तो यह जो कहते हैं कि मैंने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम कराया है, वह भी गलत कहते हैं। मंत्री जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं लैबोरेट्रीज के बारे में जानता हूँ, इसीलिए मैंने मेडिकल कॉलेज में 14 से 6 लैबोरेट्रीज का प्रावधान कर दिया है। यह भी उन्होंने असत्य बोला है, क्योंकि 14 से 6 लैबोरेट्री का प्रावधान - was done by Section A.1.19(a) and A.1.19(b) vide amendment dt. 23.10.2008. तो यह भी वर्ष 2008 का अमेंडमेंट है, इसमें मंत्री जी का कोई रोल नहीं है। उसके बाद हॉस्टल रिववायरमेंट के बारे में मंत्री जी कहते हैं कि महिलाओं को मैंने सौ परसेंट दिया और पुरुषों को मैंने छूट किया था। उनका स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूँ। मेडिकल कॉलेज किसी जंगल में नहीं होते हैं, इसीलिए हमने लड़कियों की जो अनिवार्यता पहले सौ प्रतिशत हॉस्टल की होनी चाहिए, हमने अब उसे सिर्फ लड़कियों के लिए अनिवार्य रखा है, लड़कों के लिए सतर प्रतिशत आ गए हैं। यह भी उन्होंने गलत कहा है। पिछली एमसीआई जो चुनी हुयी बॉडी थी, उसके द्वारा सेक्शन B.12 amendment dt. 23.10.28 ...(व्यवधान) 15 अपराध गिनाकर छोड़ दूंगा, गिनाने को तो मैं पांच सौ गिना सकता हूँ। ...(व्यवधान) इस सारे के नैजेट्स मेरे पास हैं। The factual position is that there is no such requirement as 100 per cent for girls. उसके बाद उन्होंने बहुत वलम किया था कि यह परिवर्तन आज तक साठ साल से ज्यादा समय तक मेडिकल कॉलेज लाने के लिए कभी नहीं आए थे। आज बहुत सारे अनडेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं, उसी सोकाल्ड अनडेमोक्रेटिक सिस्टम में हमने यह परिवर्तन लाया है, जो सोकाल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम में लाया था। इतने सारे सबूत मैं दे रहा हूँ कि इन्होंने क्या-क्या गलत बोला? यह भी पूरा का पूरा असत्य है। अनडेमोक्रेटिक सिस्टम में जो अच्छे से काम हुआ, उसके लिए स्कैम की दो सालों की किताब आपके लिए उपलब्ध है। स्कैम जो दो सालों में एमसीआई ने किया, जो आपकी एमसीआई है, उसके स्कैम की एक कापी मैं पटल पर भी रखता हूँ और एक कापी माननीय मंत्री जी को भी गिफ्ट करता हूँ कि वह घर में जाकर अच्छे से पढ़ लें कि इनकी एमसीआई क्या कर रही है? ...(व्यवधान) एक कापी आपको भी दूंगा। उसके बाद माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर वह एक साल रहा तो जितने भी एंट्रेस एग्जाम्स हैं, इन्होंने कहा था कि ...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद: माननीय सदस्य से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एमसीआई न मेरी है, न इनकी, न पुरानी और न ही नयी। यहां कहते हैं कि पुरानी एमसीआई, पुरानी एमसीआई भी हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर थी और नयी भी। जब मैंने कहा कि हमारे वक्त में तो चाहे वह पुरानी हो या नयी हो, ऐसा लगता है कि पुरानी इनके अंदर थी और नयी मेरे अंदर है। पुरानी भी हमारे अंदर थी। ...(व्यवधान) हमने अपने शासन के वक्त की बात कही है, चाहे पहले एमसीआई वाला हो या नया एमसीआई वाला हो, इसलिए मैं खंडन करता हूँ कि आपकी सब असत्य बातें हैं।

ऑ. संजय जायसवाल : एमसीआई पहले इंडीपेंडेंट स्टैच्युटरी बॉडी थी।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : हमारे पीरियड में पुराना एमसीआई भी था और नया एमसीआई भी है। ...(व्यवधान)

ऑ. संजय जायसवाल : सर, आप का स्टेटमेंट, आपको थोड़ा याद करा दूँ कि आपने जो स्टेटमेंट 26.08.2010 को दिया था वह मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ :-

"यह परिवर्तन आज तक 60 साल से ज्यादा समय तक मेडिकल कॉलेज लाने के लिए कभी नहीं आए थे जिसको आज बहुत सारे अनडेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं उसी सो-कॉल्ड अनडेमोक्रेटिक सिस्टम में हमने यह परिवर्तन लाया और जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम था उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। "

सर, आपने खुद इसमें कहा है। अगर आपको याद नहीं है तो इसका पेज नम्बर 4781 है। आप लोक सभा के रजिस्टर में कभी भी जांच कर सकते हैं। उसके बाद ये यह कहते हैं कि एमसीआई भ्रष्ट है। हम सभी ने एमसीआई पर ववैश्न उठाया था कि एमसीआई बहुत भ्रष्ट है। इसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए। गवर्नमेंट को एमसीआई और डीसीआई पर कमेटी बैठाने का पावर है। उन्होंने एमसीआई और डीसीआई पर कमेटी बैठायी। ग्यारह मई को उनके हेल्थ सेक्ट्री के सुजाता राव जी ने तीन आदमियों की कमेटी बैठाई। यह तीन लोगों की जो कमेटी थी - श्री केशवदास राजू, एडीशनल सेक्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एण्ड वेल्फेयर, डा. रानी कुमार, डीन, एआईआईएमएस, प्रोफेसर ए. के अग्रवाल, डीजीएचएस जो दसमेश और मेडिकल कॉलेज पटियाला था, उसमें एमसीआई के पुराने अध्यक्ष पर यह इल्जाम लगा था कि इन्होंने घोटाला किया। हम लोगों के लोकसभा में कहने पर माननीय मंत्री जी ने जांच की। जांच का कंवलूजन क्या निकाला।

"In conclusion, the Inquiry Committee is of the view that the recommendation made by the Executive Committee of the MCI at its meeting on 5.4.2010 to grant permission for admission of 100 students in 2010-11 for the fourth batch of MBBS students at the Gyan Sagar Medical College and Hospital, Patiala was justified on the basis of the Report of the Council of Ministers."

इन्होंने जो जांच कमेटी बैठाई वह ग्यारह मई को कहती है कि ठीक है और तेरह मई को, सीबीआई के. अश्विनी कुमार जी को लेटर लिखा हुआ है। हम लोगों ने आरटीआई से निकलवाया है। आप यह चेक कर लें। इसी के कहने पर किया गया है। मुझे बहुत दुख है कि उसके बावजूद इन्होंने किया। हमलोग लगातार इल्जाम लगाते हैं कि आपने एमसीआई को डिजॉल्व किया और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया और नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया को वयो नहीं डिजॉल्व किया। डीसीआई में जस्टिस अनील सिंह की अध्यक्षता में भी एक कमेटी बनी थी। पांच वर्ष तक की इसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास पड़ी हुई है। जैसे गवर्नमेंट की हर कांफिडेंशियल रिपोर्ट लीक हो जाती है वैसे यह भी लीक हो चुकी है। इसमें साफ लिखा गया है कि डेंटल काउंसिल में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है और इसे खत्म किया जाए लेकिन आज तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। सीबीआई ने नर्सिंग होम काउंसिल के चेयरमैन पर तीन साल पहले चार्जशीट कर दिया। यह तीन साल से मांग करती रही कि हमें परमीशन दिया जाए। नर्सिंग काउंसिल के अध्यक्ष रिटायर कर गए पर नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया को डिजॉल्व नहीं किया गया। यह जो ओवरसिनिंग बॉडी तथाकथित बन रही है उस में भी कहीं-कहीं लिखा हुआ है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया खत्म किया जाए। उसमें भी है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रहेगी। तीन साल से हम ही नहीं कह रहे हैं बल्कि जब भी भाषण हुआ ट्रेजरी बेंच के हर आदमी ने कहा है कि इसका प्रूपर इलैक्शन करा कर, पावर रिस्ट्रीक्ट कर आप बहाल करो। उसमें सारे मेडिकल कॉलेज के लोग हैं, सारा यूनिवर्सिटी का है, आप उसको बहाल नहीं कर रहे हैं। हर बार आप समय पर समय लिए जा रहे हैं।

आप कहते हैं कि ओवरसिनिंग बॉडी बनाई, आपने तीन-तीन ओवरसिनिंग बॉडी बना कर रखी हुई है। हायर एजुकेशन लिए अलग और आर्युष के लिए अलग है। इस तरह की ओवरसिनिंग बॉडी है कि हम लोगों के भी समझ से परे है। इसलिए मेरा आप लोगों ने अनुरोध होगा, एक शोले का डायलाग था, अमिताभ बच्चन ने धर्मेन्द्र की शादी के लिए बोला था कि यह करता है, वह करता है लेकिन इस लड़के से शादी करा दो। कुछ वही हालत है कि सब कुछ गलत है जो दो सालों में हो रहा है सब कुछ गलत हो रहा है लेकिन हम लोगों की मजबूरी है कि जो पहले वाला था वह भी ठीक नहीं था लेकिन इसका इलैक्शन कराइए, नियम बनाइए और तंतु इसको बहाल कीजिए और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में दिल्ली और मुंबई का नहीं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाइए... (व्यवधान)

पिछले बार मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में छः सदस्यों में से चार सदस्य दिल्ली के और दो सदस्य मुंबई के थे। इस बार चार सदस्य दिल्ली के हैं और दो सदस्य मुंबई के मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में हैं और एक सदस्य केरल से हैं। क्या यही पूरे इंडिया की मेडिकल काउंसिल है या केवल दिल्ली और मुंबई की मेडिकल काउंसिल है? आपको छः सदस्य लेना था तो सभी सदस्य डिफरेंट राज्यों से लेते। दिल्ली मुंबई के जितने कारपोरेट हॉस्पिटल्स हैं उनके मालिकों को लेकर उनको मेडिकल कालेज खोलने के लिए उनको छूट देने के लिए एमसीआई की मांग की जा रही है। पिछला भी गलत था, मेरी मजबूरी है इसलिए मैं मजबूरी में इसका समर्थन करता हूँ।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इंडियन मेडिकल काउंसिल (अर्मेडमेंट) बिल, 2012 जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसके समर्थन में बोलने का अवसर दिया। डा. संजय हमारे पड़ोसी हैं। उन्होंने काफी विस्तार से इंडियन मेडिकल काउंसिल (अर्मेडमेंट) बिल पर अपने विचार रखे। मैं समझता हूँ कि यह जो संशोधन बिल आया है, इसके पीछे प्रयोजन है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इस देश में 1934 में एक्ट से इस्टैबलिश हुई, फिर उसे इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1933 में रीकॉन्सटीट्यूट किया गया। इंडियन मेडिकल काउंसिल, 1956 का गठन हुआ। उसके पीछे एक सुनिश्चित उद्देश्य, लक्ष्य था कि इस देश में मेडिकल एजुकेशन की वचालिटी, उसकी गुणवत्ता और उसकी पवित्रता के स्तर को बनाए रखने में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अपनी भूमिका निभाएगा। यह दुर्भाग्य रहा कि वर्ष 2010, जैसा उल्लेख किया गया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई कि स्वायत्तता के नाम पर स्वेच्छाचारिता होने लगी। तमाम मेडिकल कालेजों को एक्विडेशन इस तरह दिया गया जो नार्म्स भी पूरे नहीं कर रहे थे। जिस पैरामीटर पर मेडिकल कालेज खोलने या सीट बढ़ाने, बिना फैकल्टी या उन तमाम मानकों को पूरा किए बिना कार्य करना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। यहां तक हुआ कि तत्कालीन चेयरमैन सीबीआई द्वारा गिरफ्तार हुए। पूरे देश में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के काम पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया कि यह स्वायत्त संस्था है या स्वेच्छाचारिता संस्था है। हम जिससे अपेक्षा करते हैं कि अच्छे मेडिकल कालेज खोलेंगे, उससे इस देश में अच्छे डाक्टर पैदा होंगे जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों को हेल्थ सेंटर में अपनी सेवाएं देंगे, दुनिया में जाकर भारत का नाम रोशन करेंगे, उस स्थिति में वह कदम क्यों उठाया गया। उस समय पूरा सदन चाहता था कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को तत्काल सुपरसीड किया जाए। महामहिम राष्ट्रपति जी हस्तक्षेप किया और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन हुआ। यह तय हुआ कि दो साल के लिए इसका गठन हुआ है, उसके आगे इसका स्वरूप बनेगा, चाहे ओवरॉल आर्विंग बॉडी बनाने की बात हो या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की बात हो, जैसे अभी संजय जी ने उल्लेख किया, यह सही है कि नेशनल कमीशन फार ह्यूमन रिसोर्सेज एंड हेल्थ बिल 22 दिसम्बर, 2011 को दूसरे सदन में आया। अधिष्ठाता महोदय, अगर दूसरे सदन में कोई बिल आएगा तो वह भी एक सॉवरन सदन है जिसकी चर्चा इस सदन में नहीं करते और इस सदन की चर्चा उस सदन में नहीं करते। अगर उस सदन ने उस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया जहां वह लंबित है जहां सभी दलों के सदस्य हैं, तो न सरकार स्टैंडिंग कमेटी को डायरेक्टिव दे सकती है कि आप निर्धारित समय में इस बिल को पार्लियामेंट में भेजिए और न राज्य सभा को कह सकती है कि आप उस बिल को पारित कीजिए। अगर वह बिल 15 मई को समाप्त हो रहा है और 14 मई, 2012 को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का टेन्चोर समाप्त हो जाएगा तो आगे क्या स्थिति होगी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की फंक्शनिंग, चाहे अंडर ग्रेजुएट क्लासेज हों, पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज हों, शिक्षा के लिए एक्विडेशन का सवाल हो, सीट बढ़ाने का सवाल हो, नार्म्स का सवाल हो, तो कौन सी बॉडी काम करेगी।

जब हम आज चार तारीख को खड़े हैं, तो स्वाभाविक है कि बिल लाना, केवल एक वर्ष के समय की मांग करके आये हैं, तो मैं समझता हूँ कि यह बिल उतना ही मासूम है जितना मंत्री जी मासूम हैं। इस बिल पर इतनी बहस भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मंत्री जी ने इस बिल पर बहुत विस्तार से बातें कही हैं। मैं भी कहना चाहता हूँ कि उन्होंने लगातार कहा कि वर्ष 2005 में प्रोफेसर की ऐज 70 वर्ष बढ़ायी गयी, उस पर माननीय मंत्री जी अपना श्रेय ले रहे हैं या उसके बाद वर्ष 2008 में जो फैसले किये गये, लेबोरेटरीज कम की गयीं, रिसेव्स किया गया, चाहे मेडिकल कालेज खोलने के लिए 35 एकड़ से 20 एकड़ किया गया, शहरों में 10 एकड़ किया गया। निश्चित तौर से कल जो एक कल्पना थी कि कहीं मेडिकल कालेज नहीं खुल सकता, तो आज एक बात यह है कि कम से कम इससे यह स्थिति हो गयी है कि हम उत्तर प्रदेश में बचपन से यहां केवल पांच-छः मेडिकल कालेज देखते आये थे, आज लगभग 50 मेडिकल कालेज हो रहे हैं। यह किसकी देन है। अगर मंत्री जी इस पर कहते हैं कि मैंने किया, तो कोई मंत्री जब मैं कहता हूँ, तो मैं से तात्पर्य उसकी सरकार से होता है और यह काम हमारी सरकार ने किया है। इसलिए निश्चित तौर से सरकार बधाई की पात्र है क्योंकि आज मेडिकल कालेज खुल रहे हैं और एक-एक साल में छः हजार सीटें बढ़ रही हैं। पोस्ट ग्रेजुएट में भी सीटें बढ़ रही हैं। पिछले दिनों हमारे पास फैकल्टीज भी नहीं थी। एमबीबीएस के लिए पोस्ट ग्रेजुएट की फैकल्टीज होनी चाहिए। जिस तरह से मेडिकल कालेज खुल रहे थे, जिस तरह से यहां के डाक्टर बाहर जा रहे थे, उन कठिनाइयों को लेकर स्वाभाविक रूप से आज किया गया है। वह वर्ष 2005, 2008, 2009 और 2010 के फैसले को सिलसिलेवार गिना रहे हैं और आप उसे असत्य बोल रहे हैं, गलतबयानी कर रहे हैं। अगर आपने वर्ष 2005 के पहले वर्ष 2004 तक का कोई उल्लेख किया होता, तब मैं कहता कि आप सही बोल रहे हैं और मंत्री जी की गलतबयानी है। लेकिन वर्ष 2005 से 2012 तक जो भी किया गया, वह कांग्रेस, यूपीए सरकार ने किया, चाहे वह यूपीए वन हो या यूपीए टू हो। स्वाभाविक है कि आप इस सदन को गुमराह कर रहे हैं। सदन के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं। आज मैं समझता हूँ कि एक ऐसी स्थिति ... (व्यवधान)

डॉ. संजय जायसवाल : सभापति महोदय, माननीय सदस्य मेरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। ... (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। ... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except what Shri Pal is submitting.

(Interruptions) अँ! *

श्री जगदम्बिका पाल : मैं उन्हें प्यार कर रहा हूँ। ... (व्यवधान) मैं उन पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। ... (व्यवधान) मैं इस पार्टी में हूँ। ... (व्यवधान) स्वाभाविक है

कि आप प्रतिपक्ष में बैठकर हमारी सरकार की आलोचना कर सकते हैं। हमारे एक वरिष्ठ मंत्री, जिन्होंने सरकार के रूप में काम किया है ...(व्यवधान) आप असत्य बोलने की बात कर सकते हैं, गलत बयानी की बात कर सकते हैं। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: No cross-talks please.

...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. Please do not disturb. When you spoke, no one disturbed you. Mr. Pal, you may continue please.

(Interruptions) â€! *

श्री जगदम्बिका पाल : मैं समझता हूँ कि ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please do not disturb him. Please stop that cross-talk.

...(Interruptions)

श्री जगदम्बिका पाल : मैं उनको धन्यवाद दूंगा। मैं बिल पर बोल रहा हूँ। मैं बिल से बाहर कोई बात नहीं कह रहा हूँ।

अधिष्ठाता महोदय, आप बहुत विद्वान आदमी हैं। आप जानते हैं कि मैं जो बातें कह रहा हूँ, सब बिल से संबंधित बातें हैं। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except what Shri Pal is saying.

(Interruptions) â€! *

श्री जगदम्बिका पाल : मैं उस प्रोजेक्ट बिल की बात कर रहा हूँ, जो नैशनल कमीशन फॉर ह्यूमन रिसोर्सिज फॉर हेल्थ जो वर्ष 2011 में 22 दिसम्बर को पेश हुआ है। इसे मैं केवल चार लाइन में कह दूंगा। मैं समझता हूँ कि शायद जिस दिन यह बिल पारित हो जायेगा, आप जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, चाहे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, आयुष काउंसिल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हों या किसी भी पैरामेडिकल कालेज या पैरामेडिकल सर्विसेज की बात कर रहे हों, मैं समझता हूँ कि उसका जो एक ऑब्जेक्ट है --

"The National Commission for Human Resources for Health Bill 2011 seeks to consolidate the law in certain disciplines of health sector and promote human resources in health sector and provide for mechanism for the determination, maintenance, coordination and regulation of standards of health, education throughout the country to ensure adequate availability of human resources in all States for the said purposes to establish the National Commission for Human Resources for Health to supervise and regulate professional councils in various disciplines of health sector."

यह हमारे इस बिल का उद्देश्य है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please do not disturb him.

श्री जगदम्बिका पाल : सदन को हम कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं। यह भी कहा गया कि जो बिल आ रहा है, उसमें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसमें रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की बात की जा रही है, लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को एग्जिस्ट किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य ने प्रोजेक्ट बिल को देखा होगा और वह बहुत विद्वान हैं, इसलिए उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। इसमें साफ कहा गया है :

"The present NCHRH Bill proposed to establish a mechanism to determine and regulate the standard of health care and medical education in the country. It would also repeal the Indian Medical Council Act, 1956â€!"

यह इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1956 को रिपील करता है।

"â€!The Dentist Act 1948, the Indian Nursing Council Act, 1947 and the Pharmacy Act 1948 by taking Medical Council of India, Dental Council of India, Nursing Council of India and the Pharmacy Council of India under the umbrella of NCHRH."

इसमें कहा कोई दुविधा है, इसमें कहा भ्रम की स्थिति है? साफ-साफ है कि जो बिल प्रोजेक्ट है कि चाहे इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट हो, एमसीआई हो, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया आदि इन सभी को मिलाकर एक आर्टिंग बॉडी बनाई जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका पुरजोर ढंग से समर्थन करना चाहिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please do not disturb.

श्री जगदम्बिका पाल : मैंने आपकी बात बहुत गौर से सुनी है। ...(व्यवधान)

डॉ. ज्योति मिर्धा (नागौर): जब आप बिल को डिबेट में देखेंगे, तब समझ में आएगा कि पुराने एमसीआई और नए एक्ट में क्या फर्क है।

MR. CHAIRMAN: Mr. Pal, please address the Chair.

श्री जगदम्बिका पाल : अगर इसको एक साल के लिए ला रहे हैं, अगर एक साल में यह बिल पारित नहीं हुआ, अभी स्थायी समिति के सामने लम्बित है, फिर राज्य सभा में जाएगा। आप बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए एक साल का समय मांग रहे हैं, जरूरी नहीं है कि एक साल में यह बिल पारित हो जाए, इसलिए आप यह क्यों नहीं कहते कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स रहेंगे जब तक कि वह बिल पारित न हो जाए। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी बदलाव होना चाहिए। दो साल का टर्म रख दीजिए... (व्यवधान)

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): दो साल हो चुके हैं, आप क्या बोल रहे हैं... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Mr. Pal, please address the Chair. No cross-talks in between.

श्री जगदम्बिका पाल : मैं कहना चाहता हूँ कि पूरा सदन सर्वसम्मति से, केवल एक साल के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को और वह भी बाध्यता है, मजबूरी है इसलिए कि वह जो बिल आलरेडी प्रोजेक्ट है, ओवरआल आर्बिग रेगुलेटरी अथारिटी के लिए, वह हेल्थ की स्टैंडिंग कमेटी के सामने लम्बित है। हम उम्मीद करते हैं कि वह जल्दी से जल्दी वहां से आएगा, राज्य सभा एवं लोक सभा से पारित होकर वह एक्ट बनेगा और आने वाले दिनों में देश में चाहे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया हो, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया हो, वे सब एक अंब्रेला के नीचे आएंगे, एक ऐसी बॉडी होगी जिसमें ट्रांसपैरेंसी होगी, हमारी मेडिकल एजुकेशन में एक ववालिटेडिव सुधार होगा, इसकी गुणवत्ता विश्वस्तरीय होगी, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और सभी से अपील करता हूँ कि इसका पुरजोर समर्थन करें।

MR. CHAIRMAN: Mr. Shailendra Kumar, please be brief. I would also request the hon. Members not to disturb him.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कोशाम्बी): आपने मुझे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2012 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

यह बिल भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 का संशोधन करने वाला है। 14 मई, 2010 का ऑर्डिनेंस जारी हुआ था सेवशन 3ए2 के तहत और यह कहा गया था कि एक वर्ष के भीतर नया चुनाव कराकर रिकार्स्टीट्यूट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वर्ष 2011 में एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, जबकि यह बिल पार्लियामेंट में भी आया था। जैसा अभी सम्मानित सदस्यों ने एनसीएचआरएच, जो एक ओवरआर्बिग बॉडी होगी, उसे बनाया गया है। एक वर्ष समय बढ़ाया गया, वह भी समाप्त हो गया है। आपको याद होगा कि अभी जब पांच राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, उसकी वजह से थोड़ा विलंब हुआ। उसकी वजह से थोड़ा सा विलम्ब हुआ और ऑर्डिनेंस नहीं ला सके। राज्य सभा का आपने हवाला दिया और इधर लोक सभा का भी हवाला दे रहे हैं। एक लोकतांत्रिक बॉडी पर, एमसीआई पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो सीबीआई ने छापे मारे और कुछ लोग जेल भी गए। दूसरी ओर आपने भी देखा होगा कि नर्सिंग काउंसिल आफ इंडिया और डेंटल काउंसिल आफ इंडिया में भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आए तथा कुछ लोग पकड़े भी गए। लेकिन मंत्री जी ने उन्हें टच तक नहीं किया और दूसरी बॉडी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए।

मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब हमारी पार्टी की सरकार थी, तो हमने चार मेडिकल कॉलेज खोले थे। जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि हमारे मंत्री जी, यह हमारे और तुम्हारे मंत्री जी की बात नहीं है, बात हो रही है कि किस प्रकार से देश में मेडिकल कॉलेज खुलें और लोगों को मेडिकल फैसिलिटी मिले।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पुरजोर मांग करना चाहूंगा कि जो यहां एक वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाने की बात हो रही है, उसे घटाकर आप छः महीने कर दें और छः महीने के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराएं, तब यह अपने अस्तित्व में आएगी। इस बिल का संजय जी ने जबर्दस्त विरोध किया, लेकिन बाद में समर्थन भी कर दिया। इधर के माननीय सदस्य ने समर्थन किया, लेकिन हमारी स्थिति बीच वाली है। न तो हम पूरा विरोध कर सकते हैं और न ही समर्थन। लेकिन मंत्री जी से मेरी मांग है, हम उनका बड़ा आदर करते हैं और नेता जी से भी बात हुई है, कि आप एक वर्ष नहीं, छः महीने का समय बढ़ा दें और तुंतु चुनाव कराएं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री धनंजय सिंह (जौनपुर): सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं इस जगह से बोलना चाहता हूँ। हालांकि यह एक छोटा सा बिल है और इसके द्वारा आप कार्यकाल बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहे कुछ भी कहें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप बहुमत में हैं और समय बढ़वा लेंगे, सिर्फ 51-49 का खेल है इसलिए हमारे कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैं आईएमसी के कार्यकलाप के बारे में कुछ बिंदुओं पर जरूर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। संजय जी, जगदम्बिका पाल जी और शैलेन्द्र जी ने भी एमसीआई की फंक्शनिंग पर अपने विचार यहां व्यक्त किए हैं। आईएमसी में 1991 से अनियमितताएं हो रही थीं, उस पर सदन में कई बार सवाल भी उठाए गए। मैं जब 2009 में लोक सभा में आया तो मैंने भी अपनी पहली स्पीच के समय आईएमसी के कार्यकलाप पर सवाल उठाए थे। हमने कहा था कि एमसीआई खासकर उत्तर भारत में मेडिकल कॉलेजेज़ को कम मान्यता देती है, नम्बर आप सीट्स चाहे पीजी की है या उसे बढ़ाने की बात है, उसे

नजरअंदाज करती है और दक्षिण भारत की तरफ ज्यादा मेडिकल कालेजेज़ को मान्यता दी जाती है और उधर के लोगों को ज्यादा तरजीह दी जाती है। यह बात पहले भी कई बार आई। यह बात हमने इसलिए कही थी कि 2009 में हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में पांच मेडिकल कालेजेज़ बनकर खड़े थे। एमसीआई से एनओसी नहीं मिलने की वजह से वे कालेज नहीं चल पा रहे थे।

एमसीआई को मंत्री जी ने समाप्त करके बीओजी बॉडी बना दी। मैं कहता हूँ कि आपने बीओजी बनाई, ठीक है, लेकिन उसे आप वलेंटिकल इन्वॉयरी तक ही सीमित रखते। जहाँ तक सीट्स बढ़ाने की बात थी या नए कालेजेज़ को मान्यता देने की बात थी तो मंत्रालय ने क्यों नहीं इसे अपने पास रखने का काम किया। एक बीओजी बना दिया, सात-आठ लोगों की एक बॉडी बना दी, वे सारी चीजों को तय कर रहे हैं और एक इलेक्टोरल बॉडी को भंग कर दिया। एक भू.पू. वेयरमैन चाहे वह कितने ही भ्रष्ट रहे हों, उन्हें जेल जाना पड़ा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरा यह पक्ष है कि कोई भी इलेक्टोरल बॉडी नामित बॉडी से हमेशा प्रभावशाली रहेगी। एमसीआई की जो इलेक्टोरल बॉडी थी, उसमें पूरे देश से, प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि चुनकर आते थे और अपने राज्य के हित की बात किया करते थे। अभी माननीय मंत्री जी ने डीओजी की ट्रांसपैरेंसी की बात की। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान ट्रांसपैरेंसी की ओर जरूर दिलाना चाहूँगा। दो-तीन प्रकरण हमारे संज्ञान में आये और मैंने भी कई पत्र डीओजी को लिखकर जवाब मांगे थे जिसमें पूरी तरीके से ट्रांसपैरेंसी बरती नहीं गयी और जवाब को या तो गोल-गोल तरीके से दिया गया यानी हमारा सवाल कुछ है उतर कुछ दे रहे हैं।

मैं आपका ध्यान तीन चीजों की ओर दिलाना चाहूँगा। एक तो इन्होंने मैडीकल कॉलेज में सीटें बढ़ाने का काम किया। जिन मैडीकल कॉलेज की आपने सीटें बढ़ाई हैं क्या उसमें जो मानक आपने निर्धारित किये थे उनका पालन किया गया? जिन मैडीकल कॉलेजेज़ को आपने रिजेक्ट किया है क्या उसके मानक उसके अनुरूप नहीं थे, इसका जवाब हमें नहीं मिला। मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी इसका जवाब दें। आप कहें तो मैं कॉलेज के नाम भी बता दूँ। एक तो आईपीआर का संजय जी ने जिक्र किया। इस पर वैसे बंगाल की सरकार ने काफी अपोज किया और उसके हस्तक्षेप करने के बाद क्योंकि वहाँ पर डेंटल कॉलेज चल रहा था मैडीकल कॉलेज की मान्यता दे दी गयी। जब जवाइंट इंस्पेक्शन हुआ एमसीआई, डीसीआई का तो फिर उसकी मान्यता निरस्त की गयी। एक तरफ आप ट्रांसपैरेंसी की बात करते हैं दूसरी तरफ डेंटल कॉलेज को उन्हीं सारे इविपमेंट्स पर मैडीकल कॉलेज की मान्यता दे रहे हैं। जिस डीओजी की ट्रांसपैरेंसी की बात आप कर रहे हैं, वर्ष 2011-2012 की डीओजी आपने बनाई, उसी डीओजी ने मान्यता दी है। आपने वर्ष 2010-2011 की डीओजी को एक वर्ष के कार्यकाल के बाद बदल दिया, क्या उसकी कोई वजह थी, क्या उसकी फंक्शनिंग खराब थी। अब आप 2011-2012 को ट्रांसपैरेंट कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि अगर कुछ चीजों को गलत उन्होंने की है तो क्या उनका कार्यकाल बढ़ाने जा रहे हैं या उसे समाप्त करके नयी डीओजी बनाएंगे या कुछ आपने मानक निर्धारित किये हैं कि प्रत्येक वर्ष आप नयी डीओजी बनाएंगे।

एक बात माननीय संजय जी ने और माननीय शैलेन्द्र जी ने भी कही कि डीओजी जब भी आप बना रहे हैं, ठीक है आप 6 महीने की पास करा लेंगे। मैं भी यही चाहता हूँ कि 3 महीने, 6 महीने जितना जल्दी इसका निस्तारण किया जाए, उतना अच्छा है। जो नयी डीओजी आप बनाएंगे, कम से कम जो बड़े प्रदेश हैं वहाँ के प्रतिनिधि के क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखते हुए डीओजी बनाएंगे। सिर्फ मैट्रो सिटीज से आप चयन कर लेते हैं, यह मुझे उचित नहीं लगता है।

मेरा एक आग्रह है कि जो नयी डीओजी बने, उसे मंत्रालय सीटों की संख्या बढ़ाने और नये कॉलेज की मान्यता के लिए अपने अधीन रखे। मुझे लगता है कि तब ज्यादा ट्रांसपैरेंसी रहेगी। हम ज्यादा सवाल आपसे सदन के अंदर कर सकेंगे और सारे सदस्य मेरी बात से सहमत होंगे। क्यों आप अपने अधीन नहीं लेना चाहते हैं क्यों आप डीओजी को दे रहे हैं? आप 7 डाक्टरों को दे रहे हैं आप खुद क्यों नहीं लेते, क्या आप खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, क्या मंत्रालय रिस्पॉन्सिबल नहीं है।

एक ओवर-आर्चिंग बॉडी की बात चल रही है। उसके अंदर जितनी भी कौंसिल्ट्स हैं, उन्हें आप समाप्त नहीं कर सकते हैं, अगर समाप्त करने का इशारा हो तो बताइये। अगर इस सदन में हम गलती कर देंगे तो क्या इस सदन को ही समाप्त कर दिया जाएगा। यह तरीका गलत है। एमसीआई को इलेक्टोरल बॉडी के रूप में पुनः जितना जल्दी हो सके, चुनाव कराकर जिंदा किया जाना चाहिए। मैं कड़े शब्दों में इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ। सदन के हमारे सभी सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे और जिन लोगों ने अपनी बात रखी है उन्होंने भी कहा है कि एमसीआई को इलेक्टोरल बॉडी के रूप में तुंत स्थापित किया जाए।

अभी सीबीआई ने एक प्रीलिमिनरी इन्वॉयरी की थी जिसमें कई मैडीकल कॉलेजेज़ को मानकों के अनुरूप नहीं पाया था, उसके बावजूद इसी डीओजी ने सीटें वहाँ बढ़ा दी। जहाँ सीबीआई की नकारात्मक रिपोर्ट के बावजूद भी जो प्रथम-एस्ट्या उनकी एक रिपोर्ट आई थी, उसके बाद भी इन लोगों ने वहाँ पर सीटें बढ़ाने का काम किया है। इंडेक्स मैडीकल कॉलेजेज़, केपीसी आदि। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ।

हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक पंक्ति कही थी कि कोई संस्था खराब नहीं होती है, यदि निरंतर व्यवस्थाओं का परिमार्जन नहीं किया गया, एक दिन व्यवस्थाएं तो टूटेंगी, साथ-साथ देश और धर्म दोनों को तोड़ेंगी। यह मैं आपसे कहता हूँ कि कोई संस्था या व्यवस्था खराब नहीं होती है। हम समय-समय पर चेक करते रहेंगे तो निश्चित रूप से संस्थाएं सुदृढ़ रूप से काम करेंगी। अगर हम उन्हें लापरवाही और गलत काम करने का मौका देंगे तो संस्थाएं खराब होती जाएंगी और हम यहाँ बैठकर एक नयी संस्था बना दें तो इससे समाधान नहीं होने वाला है। मेरी पुनः आपके माध्यम से सभापति जी मांग है कि तीन महीने के अंदर नयी एमसीआई का चुनाव कराएं और जो भी इलेक्टोरल बॉडी आये उसे काम करने दें और कोई ओवर-आर्चिंग बॉडी न बनाएं। आप स्वयं ओवर-आर्चिंग के रूप में काम करिये। आप जो 21 लोगों की ओवर-आर्चिंग बॉडी बनाते जा रहे हैं उसके ऊपर कौन नजर रखेगा...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go in record.

*(Interruptions) â€¦ **

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for allowing me to participate in the discussion on this important Bill. I will not take much time and I will try to finish it in five minutes.

Sir, the Medical Council of India is envisaged primarily as a recommendatory body. Its one of the objectives is for maintenance of standard in medical education through the curriculum guidelines, inspections and permissions to start colleges, courses or increasing number of seats. The Government has rightly decided to extend the tenure by bringing this amendment.

The country now needs more than 100 medical colleges to fulfill the requirement of doctors. Many medical colleges in the country are facing acute shortage of faculty. I must thank this Government for having realized the importance to implement the various recommendations made in the past on the need for reforms in the regulation of medical education in the country.

Many medical professionals in the country had expressed their views that the Medical Council of India has become a non-representative body with a gross disparity in the representation of members from various States. What is more is that there are sections of the medical fraternity like the Army, the Indian Council of Medical Research that are under represented. Moreover, in the MCI, there has to be uniformity in the representation of States. The new system would put an end to the overarching, extra-constitutional authority resting in the national policing body and courtesy which doctors enjoyed prolonged tenures, with members serving even their fourth or fifth term.

I would like to state that the term of members should be fixed for not more than two times and each term should be of four years. Similarly, a provision of removal of the President, as in the case of other important posts, has to be brought in. The Members of both the Houses of Parliament should also be considered for the ex-officio posts. This will help to make the MCI more effective.

Sir, today, health and education are the two sectors which are growing in a rapid manner keeping in view the hefty return involved in these two new fond segments.

Today, in every nook and corner of the country, we can see hospitals in the private sector sponsored by leading hospital chains as well as the medium and small business groups. It is really a welcome step. I appreciate that by way of these hospitals we can certainly bring the pressure on the Government hospitals down. But at the same time, what I am surprised is that there are no regulatory bodies to keep a control on these hospitals working in the private sector. That is why, Sir, I am demanding for a regulatory body to keep an eye on these hospitals in the private sector.

There should be something to take note of the reasons for large-scale casualties in the private hospitals. There should be some analyzing method to ascertain why such large-scale casualties are taking place in the private hospitals. There should be some stipulation about the recruitment of doctors and other paramedical staff in the private hospitals. There should also be some conditions of pay and allowances to doctors and employees working in the private hospitals. Why I am telling this is that unless you have qualified doctors with experience and staff with relevant educational qualification and experience they cannot deliver the goods. We cannot allow this rising unwanted casualties in the private hospitals. There should also be some stricture on the charges that these private hospitals are charging from the patients. I hope that the hon. Minister will take note of it and come with necessary action in this regard.

I would like to bring another most important thing, which I consider very much relevant, to the notice of the Government. According to a Report, health expenditure at nearly five per cent of GDP is not enough considering the health problems that the country is facing. Health sector is largely financed by the private sector. Therefore, I would urge upon the hon. Minister to put all his efforts to enhance the GDP on the health sector keeping in view its demand as the hon. Minister is well aware that the chronic diseases like heart disease, cancer, diabetics and kidney-related diseases are on the rise as well as vector-borne diseases like dengue, malaria, chikungunya, etc. all over the country. To fight both the chronic and vector-borne diseases we need huge financial resources.

At the end, I would like to stress here that the Medical Council of India should not limit to merely enrolling doctors, etc. It should widen its jurisdiction for ensuring the functioning of the hospitals in the private sector which has become money minting concrete structure and a killing place. The health sector has become so attractive that even the people who have nothing to do with the health sector have joined to establish hospitals with a sole objective of making quicker money at the cost of precious life of our innocent people. So, it is very essential and necessary to set up a regulatory body to oversee the functioning of the private hospitals in the country. Therefore, I would urge upon the hon. Minister to put a special attention on it.

With these words, I conclude and support the Bill.

15.00 hrs.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदय, आपने मुझे इंडियन मेडिकल काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2012 पर बोलने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमें भरोसा है कि माननीय मंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग आपकी सराहना भी करते हैं। लेकिन

15.0 ½ hrs.

(Shri Satpal Maharaj *in the Chair*)

मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूँ कि बार बार लिखो और फेंको, एक साल हुआ, इसको बेच दो और फिर उस संस्था को पुनर्स्थापित कर दो। हम चाहते हैं कि आपकी जो गर्वनिर्गम बॉडी है जो डॉक्टर्स के द्वारा चुना गया निकाय था, उसे लागू होना चाहिए। यह लोकतंत्र है। लोक तंत्र में एक संवैधानिक संस्था के रूप में मैं चाहता हूँ कि एमसीआई को अपनी पूर्वोत्तर अवस्था में ही रहने दिया जाए। एमसीआई एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जिसके कार्य बहुत ही प्रमुख हैं। जैसे किसी भी चिकित्सक को प्रैक्टिस करने का लाइसेंस देना तथा प्रैक्टिस कानून का सही रूप से पालन नहीं करने की स्थिति में उनके लाइसेंस को निरस्त करने का भी अधिकार है। मेडिकल शिक्षा के मूल्यांकन का भी अधिकार है। ऐसी स्थिति के अंदर मेडिकल डिग्री को एफिलिएशन देने का भी अधिकार है। चिकित्सा के पर्याय एमसीआई में आज निजी मेडिकल कॉलेजों एवं सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फर्जी शिक्षकों की भी नियुक्ति हो रही है। यह भी मामला सामने आया है। इससे मेडिकल शिक्षा भी प्रभावित हुई है। इसलिए आज अगर एमसीआई अपनी पूर्वोत्तर अवस्था में होता तो ऐसी स्थिति नहीं होती। एमसीआई में केवल एक अध्यक्ष के घुसखोर होने से पूरी संस्था को भंग कर देना उचित प्रतीत नहीं होता। अध्यक्ष पद का ही फिर से चुनाव होना चाहिए। अभी एक उदाहरण देता हूँ। डा. देवी प्रसाद सेठी ने एमसीआई के संचालन मंडल से इस्तीफा दे दिया है जबकि उनके निर्णय को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जायज ठहराया है। लेकिन एमसीआई से जारी अधिसूचना पर मंत्रालय ने हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया है और कहा कि मेडिकल शिक्षा राज्यों का अधिकार है। डा. सेठी ने केवल यही तर्क दिया था कि स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल शिक्षा में संयुक्त प्रवेश परीक्षा एक साथ हो, यह एक अच्छा कदम था। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका अनुमोदन किया था। यह दर्शाया है कि एमसीआई के संचालक मंडल में भी असंतोष है, दरार है। इस संचालक को बदले जाने की जरूरत है। एमसीआई का काम आधुनिक मेडिकल शिक्षा को और अत्याधुनिक बनाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए।

एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि बिहार में अभी तक एम्स शुरू नहीं हुआ है जबकि माननीय मंत्री जी ने कहा था कि 2012 तक इसको चालू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जीवन रक्षक दवाइयों पर भी बहुत ज्यादा टैक्स लगाना उचित नहीं है। दुनिया के अधिकांश देशों में जीवन रक्षक दवाइयों पर बहुत ही मामूली टैक्स लगाया जाता है लेकिन इसका पालन अपने देशों में नहीं हो रहा है। इसलिए इस सदन के माध्यम से मैं यह मांग करता हूँ कि सरकार जीवन रक्षक दवाइयों को सस्ता बनाए। मैं यह भी मांग करता हूँ सरकार एमसीआई के संचालक मंडल को भंग करे एवं इसके स्थान पर नया संचालक मंडल बनाए क्योंकि वर्तमान के संचालक मंडल में काफी विरोधावाह है। मैं सदन के माध्यम से यह मांग करता हूँ कि आपने जो बनाया है, इसको एक साल के लिए नहीं बल्कि शैलेन्द्र जी ने इस चर्चा में भाग लिया और कहा कि 6 महीने के लिए इसे बढ़ाया जाए। मैं भी आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि 6 महीने के लिए आप इसको बनाइए और फिर से डॉक्टरों के बीच में चुनाव कराकर इसको मजबूत करिए।

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): It is the best of times. It is the worst of times. I am not quoting the situation of London and France during the French Revolution. I am trying to point out that today in our country it is the best of times for the moneyed rich man who has the private hospital to attend to and it is the worst of times for the common men, the village people, the rural people, who have to attend to the public sector hospitals, that is, the Government hospitals. Most of the villages do not have these Subsidiary Health Centres, the Primary Health Centres. The teaching faculty and their teaching in the medical colleges have come to a nadir.

Way back in 1956 our forefathers forethought about this situation and they had formulated the Indian Medical Council Act of 1956. In that, the definition of medicine was given as modern scientific medicine in all its branches, including surgery, obstetrics but not veterinary surgery. But today we find that Ayurveda and Homeopathy are being brought forward. Ours is a democracy. Every person has the right to choose what he wants for himself or for his family but we cannot force it; and we cannot force people to attend to these different branches of the so called medicine. We are violating the Medical Council Act of 1956 by including and by coercing and forcing patients to attend to such clinics.

Secondly, about the constitution and the composition of the Council, in 1956 it was said that one member from each State other than a Union Territory would be nominated by the Central Government in consultation with the State Government. Second, one member from each university was to be elected amongst the members of the medical faculty. Three, one member from each State in which State Medical Register is maintained was to be elected by the members. Four, seven members were to be elected from amongst themselves from the State Medical Council and eight members were to be nominated by the Central Government.

So, keeping in mind the situation of our country, the democratic and the composite and secular nature, we always prefer for the democratic process of election. But it is so sorry to see that the Medical Council of India, which was, of course, overruled by the formation of the ordinance in 2010 and once prior to that in 1993, was not functioning in a

democratic fashion. It is a shame that the health system in the country is in shambles. We understand that for the past three years, after the UPA-II is here, lot of things have taken place. The ASHAs are working day in and day out. But I am sorry to say that these young girls, who are reaching out to the villages, bringing the pregnant mothers and distributing the Iron Folic Acid tablets, are not getting any permanent pay. They are only depending on the incentives. So, if in a particular area or village, the birth in a particular month is much higher than another one, those girls are getting paid. At the same time the others are not. This type of discrepancy should not be there.

We understand that this Government is doing a lot through the NRHM and I agree, even in my constituency I have seen that Subsidiary Health Centres are being built and institutional delivery is being promoted. But in spite of that, medical subject is a very complicated subject. Whether a person is a wealthy man or a poor man, at one point of time or other, you know in our life we have to go to a doctor. The doctor's subject is a very serious one and we have to take it that these young children, after crossing their +2, when they want to join the medical curriculum, they have to study 17-20 hours a day. When their co-students or colleagues are enjoying life outside, going to see the movies, these young doctors study for 18-20 hours a day. Even after that, they do not get due respect. The Medical Council of India made the greatest mistake in the history of the country by abolishing the house staffship. It was the house staffs, who do most of the work in hospitals.

We see that there is lack of doctors in major and minor hospitals. We know that our country has one doctor for 1700 patients, when the advanced country like the United States has one doctor for approximately 900 patients. We are trying to have more colleges and more seats.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR : But, we should be bringing back the housestaffship because lakhs of students, who have just passed and have learnt work in their internship, are trying outside to earn money. So, we have to bring back the housestaffship. We have to look after the needs of the teachers. We have to take care of the ethical points that come within the MCI.

We have to ask this question. How this Board was formed? Who are the Members of this Board? They are not even representing each State. So, the federal structure of this Government was also overlooked. When this Board was formed, the States were not consulted. This Board has no right to function anymore. There was a necessity and that is why this Board was there. But, I disfavour this Bill that is being brought now. The overarching body, which is supposed to be including the pharmacists, the nurses, the dentists and the doctors, is a sham. Each subject in its own right has a place of privilege in society and in medical practice. So, this kind of overarching body is not being accepted.

Even in this very system, in West Bengal, over the period of last 11 months, our hon. Chief Minister, Shrimati Mamata Banerjee has shown as to how healthcare delivery system can be improved with the available facilities. I request you that this overarching body should not be formed and this Board should be abolished as soon as possible. A Medical Council should be formed through democratic elections again.

DR. ANUP KUMAR SAHA (BARDHMAN EAST): Thank you, Chairman, for giving me the chance to speak on the Indian Medical Council (Amendment) Act, 2012. The sole purpose of Indian Medical Council (Amendment) Act, 2012 is to extend the tenure of the *ad hoc* Board of Governors for another year. Initially, the Act was amended in 2010, then again it was extended for another year in 2011. Now, again it has been put up for extension.

My question is as to why the Government is continuing the *ad hocism* without taking the proper steps to run the Medical Council of India, which is an autonomous and democratically elected body. It is found that Board of Governors is made arbitrarily and members are chosen mainly from Delhi and Mumbai and also from the elite institutes or corporate hospitals. Why was there no representation from Eastern and North-Eastern zone in the last two Boards of Governors? Moreover, most faculties from PGI, Chandigarh and AIIMS are chosen. Though these are centres of excellence, they are not under the purview of the MCI. Then why faculty from those institutions, who are working hard against the odds, who are the actual sufferers and who are working in lack of resources, are not chosen?

The erstwhile MCI was dissolved with the purpose to tackle the corruption and nepotism. But, I know one Professor, who retired from AIIMS on 30th April this year, who has been appointed as a Consultant in MCI on 1st May this year. This is an act of nepotism.

Our aim is to provide affordable and quality healthcare. For this, the practice of medicine should be ethical and there should be prescription of generic medicines. Though there is a rule by MCI to prescribe generic medicines, doctors are not prescribing generic medicines and they are asking for unnecessary investigations for reasons other than medical. How many persons are booked by MCI for this rampant unethical practice? Is this also not an act of corruption when you turn a blind eye to the corruption?

In what way is this Board of Governors better than the erstwhile MCI? A new Bill is coming for constituting an over-arching council. What is the need for this over-arching council? The medical subject is so complex. I do not know how this over-arching council will manage everything. Or, is it a way to give advantage to the corporates so that they can get permission for all types of colleges through a single window.

Actually, health is a State subject and medical education is also of dual responsibility. By forming an over-arching body, there is a chance that the power of the States will be curtailed. This is also an insinuation into the federalism. So, I urge upon the Government to have proper representation from every State regarding the formation of the Medical Council.

I wish that all these things will be taken into consideration and democratic norms in the formation of MCI will be revived. I hope that the hon. Health Minister will amend his flawed policies and improve the healthcare system and medical education system in India.

With this, I oppose the Bill.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, at a time when the Basel-based companies are filing patent cases in Indian courts, when life-saving drugs are going out of the reach of the average Indian, I am not making it sound like us and them, like villagers and us; we are them and they are us. In that sort of a situation, the whole medical profession is in a critical state and needs life-saving care, intensive care to survive in this country. This extremely innocuous Bill, Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2012, is hardly running into eight or ten lines. The operative part, if you see, says that for the words 'one year', the words 'two years' shall be substituted. That means that there is some sort of an underlying confusion and this confusion is demonstrated in this very Bill and it is this confusion which demonstrates the mindset of this Government. It is a Government that has become a totally non-functioning Government and is incapable of coming up with positive answers to problems that are cropping up in the present day.

It is very unfortunate for the Government that there is no panacea, no medical cure for the illness that has afflicted this Government. It needs immediate intensive care.

MR. CHAIRMAN : Please make it brief.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, do you not want me to speak?

MR. CHAIRMAN: You speak, but you have to be short.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, I am very short. I would like to be actually six feet and two inches, but I am very short!

Sir, this third extension seems to be a rushed effort. Sometimes, I wonder why this legislation is being brought during this period. In this country, there is a terrible shortage of faculty in medical colleges, and as more and more super-speciality hospitals are being opened all over the country, any efficient doctor or any good doctor that you have heard of, has moved off to or has been hived off by the super-speciality hospital, including those from AIIMS and the private corporate hospitals. Therefore, with such acute shortage of faculty -- which will increase even further in the days to come -- we have been grappling with the problems of MCI.

I support my very hon. colleague from the BSP; the very hon. colleague from the TMC; and all others who have said that the overarching and going in for another body is in no way going to solve this problem.

MR. CHAIRMAN : Please conclude your speech now.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : They have been very justified in saying so. But at the same time and in the same breath, I would also like to assert that I personally do not see that if you make MCI an elected body, then it will solve the problems. You will have groups; you will have power play; and you will have doctors being taken to different places; being fed; being clothed; being made to travel; and then to vote. There also, you will have things happening, which will not be very savoury for this country.

We have had an allegation of corruption against one of the persons who has been thrown out now. But unfortunately, it seems that the Government is half-hearted even in pursuing that allegation of corruption. You have alleged that he is a crook; you have thrown him out; but you have not proven to the country as to how is he a crook. Was he really a crook or was it that he was not listening to your beck and call, and therefore, you have removed him?

Now, I am not standing for any corrupt person in the country.

MR. CHAIRMAN: Please conclude your speech now.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, you know it. Your name itself is Maharaj.

MR. CHAIRMAN: Please conclude your speech now as your time is over.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : You know as to who talks sense, and I have always admired your ability —

MR. CHAIRMAN: Thank you very much. Please conclude your speech now.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, now we have this crazy thing, which is called AIPMT. What happens is that to take students into the medical colleges, you have this all-India test, and by that what happens is that students from different parts come to different States. There is no commitment or there is no means that they would like to stay on in that State where they have done their courses. So, when you go simply by merit, you are neglecting certain States who will not be benefited when these students pass-out from the respective colleges where they have studied. To make matters worse, now you are willing to guarantee that this body be given a new lease of life at the behest of the hon. Minister, which this House is bound to say Yes to. We have no choice in it. But then, will the Minister be willing to stand guarantee that by extending the life of this body, it would be a better, cleaner, non-corrupt or let us say simply a lesser evil, which will come into being? Is there any guarantee for this? These are issues that need to be tackled amongst so many others.

For example, in Orissa, we have three Government medical colleges and three private medical colleges.

MR. CHAIRMAN: Please conclude your speech.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, you have enough time. MCI is the sole authority. Unless the Minister has objections, I will withdraw.

Earlier in the day, there was a discussion about who will regulate regulatory bodies and who will look after it if the regulatory body itself gets corrupt? The MCI is a regulatory body and we have seen that if you have appointee Governors, then they tend to become powers unto themselves and become extremely corrupt like so many other organizations and if you have elected bodies and elected people, then there is no guarantee that they would be -- in any which way -- clean.

For example, in Orissa, you have not bothered to give us more seats. We are a State where we need more doctors. We do not need students to come from outside who will go away. This AIPMT, I personally feel should be scrapped immediately.

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, I am getting countermanding orders. I am always obedient with your wishes.

I would say that this Bill is in bad taste and is poor in conceptualization. It should not have been brought. The way they went in for an Ordinance, the way they are behaving in a knee-jerk manner to go in for one year, two years and so on, this is a very wrong way to govern the country. They are playing with the very lives, the very existence, the very health of the common man of which I am also a member.

We will, of course, support the Bill. We will give the Minister what he wants because I have no choice. I am in the Opposition. Even if I say 'no', you are going to say 'ayes' have it.

But, Sir, I would like to say that this Bill is in bad taste. It is a wrong way to address this problem. It should not be encouraged. This manner of functioning of the Government should be scoffed. I am not going into the North-South divide like one of our very esteemed colleagues made it sound like the North is beheaded and the South is ten-headed. I am not saying it that way. I am saying that keeping the North-South divide in mind, let us be very, very clear that this approach itself is wrong. It needs condemnation. If the Government has to go through this Bill, instead of one year or two years, it should have an extension of six months, and within six months, they should come up with a Bill making it a regularized body. ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing else will go on record. Now, I give the floor to Dr. P. Venugopal.

*(Interruptions) * **

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR) : Mr. Chairman, Sir, I rise to present my views on the Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2012, on behalf of the AIADMK. This Amendment Bill seeks to extend the tenure of the Board of Governors of the Medical Council of India by one year. ...*(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Let him finish.

SHRIMATI MANEKA GANDHI (AONLA): Sir, the hon. Member is not going to say what he wants to say in two minutes. So, let him continue his speech on Monday.

MR. CHAIRMAN: He only wants two minutes to make his speech.

DR. P. VENUGOPAL : Sir, I want ten minutes.

MR. CHAIRMAN: We will continue this discussion on Monday.

DR. P. VENUGOPAL : Sir, this Amendment Bill seeks to extend the tenure of the Board of Governors of the Medical Council of India by one year. I am also reminded of the fact that the Medical Council Act was amended after the MCI was dissolved in 2010 following the arrest of the then President Dr. Ketan Desai by the CBI on corruption charges. Then, the MCI was replaced with a Board which was reconstituted by extending its term through an Ordinance. Though resorting to an Ordinance is not a regular course in a parliamentary system, we can understand the urgency under which the Ordinance was issued. However, the best way of law making in a parliamentary system does not encourage the issue of an Ordinance.

Hon. Chairman, Sir, it is said that after the 2011 Amendment extending the tenure of the Board from one year to two years, the Government initiated a proposal to set up a National Commission for Human Resource for Health as an overarching regulatory body which could include Councils like the MCI and the Dental Council of India in it. The National Commission for Human Resource for Health Bill, 2011 stands referred to the Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare.

Mr. Chairman, Sir, the hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. J. Jayalithaa had already written to the hon. Prime Minister objecting the Centre's proposal of setting up a National Commission for Human Resource for Health. This proposed Bill on National Commission for Human Resource for Health undermines the powers of the State Governments which are left with no role to play in policy issues related to manpower planning, curriculum, course design as well as approval of new institutions offering courses in medicine and allied disciplines. The Bill also encroaches upon the powers of the States in the critical area of health, human resources, by creating a new structure which hits at the very root of federalism. I hope the Government will see the reason and will not force the National Commission for Human Resources for Health to the detriments of the interests of the State. The *status quo* with regard to the functioning of the existing national and State Councils may be maintained for ensuring the spirit of federal democracy.

MR. CHAIRMAN: You can continue your speech next time. Now, we will take up Private Members' Bill. Shri Harish Choudhary.
